

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

अधिसूचना सं. गैर्बैपवि. 206/मुमप्र (एएसआर)-2009, दिनांक 26 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-अ, 45-अक, 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं. गैर्बैपवि. 200/मुमप्र (पीके)-2008 के पैराग्राफ 2 को अधिक्रमित करते हुए रिज़र्व बैंक एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करता है अर्थात्-

पैराग्राफ 16 (1) में, "ऐसा प्रतिशत 31 मार्च 2009 के अंत में 12% एवं 31 मार्च 2010 के अंत में 15% से कम नहीं होगा" वाक्य निम्नलिखित वाक्य से प्रतिस्थापित होगा:

"ऐसा प्रतिशत 31 मार्च 2010 के अंत में 12% एवं 31 मार्च 2011 के अंत में 15% से कम नहीं होगा।"

(ए. एस. राव)
मुख्य महाप्रबंधक